CHAPTER- 18: DISASTER MANAGEMENT.

मॉड्यूल के अंतिम एक दिन के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ (व्यावहारिक व्यावहारिक सत्र – Practical Hands-on sessions)

- **नोट–1**– पूरी कक्षा को छह समूहों में विभाजित करें। उन्हें कॉलम 5 के अनुसार छोटे समूहों में कार्य दिया जाना चाहिए।
  - ➢ पहला छोटा समूह– आपदाओं के दौरान पुलिस की भूमिका, संकट और आपदाओं के दौरान नेतृत्व, पेपर–11(B)
  - ➢ दूसरा छोटा समूह– आपदा से पहले (रोकथाम और तैयारी का चरण), पेपर–11(B)
  - ➢ तीसरा छोटा समूह– आपदा के दौरान – आपातकालीन प्रतिक्रिया चरण, पेपर–11(B)
  - ➢ चौथा छोटा समूह– आपदा के बाद – पुनर्प्राप्ति–बहाली चरण, पेपर–11(B)
  - ➢ पांचवां छोटा समूह– विभिन्न आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें– (भूकंप और भूस्खलन, बाढ़, नाव पलटना, डूबना, CBRNE, आग, हिमस्खलन, बिजली गिरना और लू), पेपर–11(B)
  - ➢ छठा छोटा समूह– राज्य/जिले/शहर विशिष्ट आपदा प्रतिक्रिया पर केस स्टडी/पैनल चर्चा, पेपर–11(B)
- नोट–2– अधिकार क्षेत्र के क्षेत्र में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं द्वारा सामना की गई किसी भी प्रकार की आपात स्थितिध्आपदा पर आधारित केस स्टडी।
- नोट–3– व्यावहारिक सिमुलेशन के उपरोक्त कार्य के अंत में, क्या करें और क्या न करें के आधार पर समूह चर्चा की जानी चाहिए।
- नोट–4– आवश्यकतानुसार मॉड्यूल से पहले/बाद में सप्ताहांत या सार्वजनिक छुट्टियों पर फिल्म/वेब सीरीज दिखाई जानी चाहिए।
- **नोट–5/** परीक्षा/ व्यावहारिक व्यावहारिक सत्रों के अंतिम सत्र के दौरान A–17 से वाइवा या एमसीक्यू परीक्षा आयोजित की जानी है।
- व्यावहारिक सिमुलेशन के दौरान, सभी प्रशिक्षुओं से, पुलिस अधिकारी होने के नाते, आपदा प्रबंधन अध्याय में पढ़ाए गए आपदा प्रबंधन के ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है।

PTS Kherwara, Udaipur

Module- A- 17- Disaster Management.
(Day-04) (Session-24)
Paper- 11 (B)- Disaster Management (12 Session)

✔ आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005

THE DISASTER MANAGEMENT ACT, 2005

[23 दिसम्बर, 2005)

आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करनें के लिए अधिनियम।

भारत गणराजय के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करेंय और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबन्धों के लिए और भिन्न–भिन्न राज्यों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी राज्य के सम्बन्ध में इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के प्रारम्भ कि प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रारम्भ के प्रति निर्देश है।

2. परिभाषाएँ इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "प्रभावित क्षेत्र' से देश का ऐसा क्षेत्र या भाग अभिप्रेत है जो किसी आपदा से प्रभावित हS;

(ख) "क्षमता निर्माण" के अन्तर्गत निम्नलिखित है–

(1) विद्यमान संसाधनों और अर्जित या सृजित किए जाने वाले संसाधनों की पहचानय (2) उपखण्ड (1) के अधीन पहचान किए गए संसाधनों को अर्जित करना या सृजित करना;

(3) आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन के लिए कार्मिक का गठन और प्रशिक्षण तथा ऐसे प्रशिक्षण का समन्वयनः

(ग) "केन्द्रीय सरकार" से भारत सरकार का ऐसा मंत्रालय या विभाग अभिप्रेत है जिसका आपदा प्रबन्धन पर प्रशासनिक नियंत्रण है;

(घ) "आपदा" से किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की सारवान् हानि या मानवीय पीड़ाएँ या सम्पत्ति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण का है जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है;

(ङ) "आपदा प्रबन्धन" से योजना, संगठन समन्वयन और कार्यान्वयन की निरन्तर और एकीकृत प्रक्रिया अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक या समीचीन है–

PTS Kherwara, Udaipur

(1) किसी आपदा के खतरे या उसकी आशंका का निवारण;

(2) किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणामों के जोखिम का शमन या कमी;

(3) क्षमता निर्माण;

(4) किसी आपदा के निपटाने के लिए तैयारियाँ;

(5) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से तुरन्त बचाव;

(6) किसी आपदा के प्रभाव की गंभीरता या परिणाम का निर्धारण;

(7) निष्क्रमण, बचाव और राहतः

(8) पुनर्वास और पुनर्निर्माण;

(च) "fजला प्राधिकरण" से धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(छ) षजिला योजनाष से धारा 31 के अधीन जिले के लिए तैयार की गई आपदा प्रबन्धन योजना अभिप्रेत है;

(ज) "स्थानीय प्राधिकारी" के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाएँ, नगरपालिकाएँ, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर योजना प्राधिकारी या जिला परिषद् या किसी भी नाम के ज्ञात कोई अन्य निकाय या प्राधिकारी है जिनमें तत्समय विधि द्वारा किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने की नागरिक सेवाओं के नियंत्रण और प्रबन्धन सहित शक्तियाँ विनिहित की गई हैं;

(झ) "शमन" से किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के जोखिम, समाघात या प्रभाव को कम करने के लिए आशयित उपाय अभिप्रेत है;

(ण) "राष्ट्रीय प्राधिकरण" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय प्रबन्धन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ट) "राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति" से धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति अभिप्रेत है;

(ठ) "राष्ट्रीय योजना" से धारा 11 के अधीन सम्पूर्ण देश के लिए तैयार की गई आपदा प्रबन्धन योजना अभिप्रेत है;

(ड) "तैयारी" से किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तैयार रहने की स्थिति अभिप्रेत है;

(ढ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ण) "पुनर्निर्माण" से आपदा के पश्चात् किसी सम्पत्ति का सन्निर्माण या प्रत्यावर्तन अभिप्रेत हैं;

(त) "संसाधन" के अन्तर्गत जनशक्ति, सेवाएँ, सामग्री और रसद भी हैं;

(थ) "राज्य प्राधिकरण" से धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत उस धारा के अधीन गठित संघराज्य क्षेत्र का आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण भी है;

(द) "राज्य कार्यकारिणी समिति" से धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति अभिप्रेत है;

PTS Kherwara, Udaipur

(ध) "राज्य सरकार" से राज्य सरकार का वह विभाग अभिप्रेत है जिसका आपदा प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण है और उसके अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किया गया किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक भी है
(न) "राज्य योजना" से धारा 23 के अधीन सम्पूर्ण राज्य के लिए तैयार की गई आपदा प्रबन्धन योजना अभिप्रेत है।

अपराध और शास्तियाँ

51. बाधा डालने, आदि के लिए दण्ड– जो कोई, युक्तियुक्त कारण के बिना,–
(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा; या
(ख) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी निदेश का पालन करने से इंकार करेगा,

तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा और यदि ऐसी बाधा या निदेशों का पालन करने के इंकार करने के परिणामस्वरूप जीवन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

52. मिथ्या दावे के लिए दण्ड– जो कोई जानबूझकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण के किसी अधिकारी से आपदा के परिणामस्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, सन्निर्माण या अन्य फायदे अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह जानता है या यह विश्वास करने का उसके पास कारण है वह मिथ्या है, जो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

53. धन या सामग्री आदि के दुरुपयोजन के लिए दण्ड– जो कोई, जिसे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में राहत पहुँचाने के लिए आशयित कोई धन या सामग्री सौंपी गई है या अन्यथा कोई धन या माल उसकी अभिरक्षा या आधिपत्य में है और वह ऐसे धन या सामग्री या उसके किसी भाग का दुरुपयोजन करेगा या अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोजन करेगा अथवा उसका व्ययन करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश करेगा, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
54. मिथ्या चेतावनी के लिए दण्ड– जो कोई, जिसे किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिमाण के सम्बन्ध में आंतकित करने वाली मिथ्या संकट–सूचना या चेतावनी देता है, तो वह

PTS Kherwara, Udaipur

दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दण्डनीय होगा।

55. सरकार के विभागों द्वारा अपराध– (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहाँ विभागाध्यक्ष ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।
(2) उपधारा (1) में बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहाँ ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

56. अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के प्रति मौनानुकूलता– ऐसा कोई अधिकारी, जिस पर अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्त्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन नहीं करेगा या करने से इंकार करेगा या स्वयं को उससे विमुख कर लेगा तो, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी की अभिव्यक्त लिखित अनुमति अभिप्राप्त न कर ली हो या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो. ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

57. अध्यपेक्षा के सम्बन्ध में किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति– यदि कोई व्यक्ति धारा 65 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

58. कम्पनियों द्वारा अपराध– (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कम्पनी या निगमित निकाय द्वारा किया गया है, वहाँ ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया है या उस

PTS Kherwara, Udaipur

अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए–

(क)"कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में षनिदेशकष से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

59. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी– धारा 55 और धारा 56 के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए कोई अभियोजन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

60. अपराधों का संज्ञान– कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा परिवाद किए जाने पर करने के सिवाय नहीं करेगा–

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या यथास्थिति उस प्राधिकरण या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारीय या

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अभिकथित अपराध की और राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या पूर्वोक्तानुसार प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को परिवाद करने के अपने आशय की विहित रीति में कम–से–कम तीस दिन की सूचना दे दी है।

PTS Kherwara, Udaipur

आपदा प्रबन्धन

आपदा का अर्थ :–

आपदा जन–धन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली वह घटना है, जो व्यापक रूप से विनाशकारी होती है। प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक बदलाव अर्थात प्रकृति के प्राकृतिक वातावरण के बदलाव के फलस्वरूप प्रकृति की सामान्य गतिविधियों में कम या अधिक बदलाव से पैदा होकर मानव जीवन व अन्य जीव–जन्तुओं के जीवन के सामान्य अनुक्रम में असहनीय बदलाव उत्पन्न होकर, जन हानि व सम्पति की हानि होने की स्थिति पैदा होना ही प्राकृतिक आपदा है, जिसका पूर्वानुमान लगाया जाना व नियंत्रित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकीन होता है।

आपदा के प्रकारः–

(1) प्राकृतिक आपदा
(2) मानव जनित आपदा

(1) प्राकृतिक आपदा– यह ऐसी घटना है, जो प्राकृतिक प्रकोप के रूप में देखी जा सकती है, जिसमें व्यापक रूप से जन–धन का नुकसान होता है, जिसमें मानव का योगदान नगण्य होता है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। जैसे भूकम्प, सुनामी, ज्वालामुखी, बाढ़, चक्रवात, सूखा आदि। जिसे प्राकृतिक प्रकोप मानकर इससे निपटने के लिए कार्य योजना बनाकर मानव को सहायता पहुँचायी जा सकती है तथा बचाव व पुनर्वास के प्रयास किये जाते हैं।

(2) मानवजनित आपदाः–

वह आपदा है, जो मानव के दैनिक कार्यों के फलस्वरूप उत्पन्न होती हो, जैसे बिजली से करण्ट फैलना, आगजनी, रासायनिक रिसाव, बम विस्फोट आदि।

आपदा प्रबन्धन योजना के निम्नलिखित छः चरण होते हैं:–

1. आपदा रोकथाम
2. आपदा का प्रभाव कम करना
3. आपदा से निपटने की तैयारी
4. आपदा आने पर कार्यवाही करना
5. आपदा राहत एवं पुनर्वास
6. आपदा एवं विकास

1. आपदा रोकथामः– आपदा की रोकथाम के उपायों में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं, जो किसी प्राकृतिक प्रकोप को आपदा में परिवर्तित होने से रोकने के लिए किये जा सकते हैं। यह स्पष्ट है कि समुद्री तूफान, बाढ़, हिमस्खलन जैसे प्राकृतिक खतरों को रोकने के लिएकुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके आपदाकारी प्रभावों को रोकने के लिए प्रयास किये जा सकते हैं। रोकथाम के कुछ उपाय राष्ट्रीय विकास के अन्तर्गत आते है जबकि अन्य का सम्बन्ध विशेष आपदा प्रबन्ध कार्यक्रमों के साथ है।

2. आपदा का प्रभाव कम करना (Mitigation):– आपदा का प्रभाव कम करना आपदा प्रबन्धन योजना का प्रमुख हिस्सा है। आपदा का प्रभाव कम करने के अन्तर्गत उन सभी उपायों को सम्मिलित किया जाता है, जिनसे किसी क्षेत्र के लोगों को आपदा से यथासम्भव बचाने में मदद मिलती है। आपदा प्रभाव कम करने की आधारभूत नीतियों में भूमि उपयोग को नियंत्रण करना, आपदा प्रतिरोधी आदर्श भवनों का निर्माण करना, सामुदायिक गतिविधियों को नियंत्रित करना एवं भवनों के वास्तुशिल्प सम्बन्धी डिजाइन तैयार करना तथा चट्टानों को गिरने से रोकने

PTS Kherwara, Udaipur

के लिए अवरोधक खड़े करना आदि उपाय सम्मिलित हैं। इसमें गैर रचनागत उपायों में आपदाओं से रक्षा के लिए पर्याप्त कानून, नियम, बीमा एवं ऋण योजनाएं, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय बनाना, उपयुक्त चेतावनी प्रणाली और संस्थाओं की स्थापना जैसे उपाय सम्मिलित है।

3. आपदा से निपटने की तैयारी (Preparedness):– आपदाओं से निपटने की तैयारी सम्बन्धी उपाय, राष्ट्रीय आपदा तैयारी योजना के दायरे में आने चाहिए और साथ ही विशेष आपदा की स्थिति में केन्द्र, राज्य, जिला और खण्ड स्तर पर अल्प एवं दीर्घ अवधि की योजनाऐं बनाई जानी चाहिए। बाढ़, सूखा, तूफान और भूकम्प जैसी आपदाओं के लिए अलग–अलग आपात योजनाएं, राहत योजनाएँ तथा पुनर्वास योजनाएँ बनाई जानी चाहिए।

4. आपदा आने पर कार्यवाही करना:– आपदा आने पर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए, अन्यथा दूसरी अनेक समस्याऐं उत्पन्न हो जाती हैं, जिन पर तुरन्त यथासंभव कार्यवाही की जानी चाहिए। जैसे सन 1999 के उडीसा तफान के कारण उपजी महामारी की आशंका।

5. आपदा राहत एवं पुनर्वास:– आपदाग्रस्त क्षेत्र में आपदा के स्वरूप एवं सहने की क्षमता अनुसार राहत एवं पुनर्वास के कार्य चलाये जा सकते हैं। आपदा के उपरान्त सहायता की आवश्यकता, प्रकार, मात्रा तथा अवधि का निर्धारण करने में इससे सहायता मिलती है।

6. आपदा एवं विकास:– आपदाओं का प्रत्यक्ष सम्बन्ध विकास से होता है। जनहानि के अतिरिक्त अनेक ऐसी क्रियाएँ या तो मंद हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं, जो विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपदा से होने वाली क्षति विकास में बाधा बनती है। इसके लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है।

आपदा प्रबन्धन एवं पुलिस

आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में प्रारम्भिक कार्यवाही प्रायः स्थानीय प्रशासन एवं आकस्मिक सेवा प्रदाता संस्थाओं के द्वारा प्रदान की जाती है, हालांकि इसमें कई संस्थाएं शामिल हो सकती हैं। इसके लिए आकस्मिक सेवा प्रदाता संस्थाओं को निरन्तर तैयारी की अवस्था में रहने की आवश्यकता रहती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी विलम्ब के आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। ऐसी सभी संस्थाओं को ऐसी व्यवस्था करके रखना चाहिए ताकि सूचना मिलने पर अविलम्ब उसे क्रियाशील किया जा सके।

पुलिस को इस प्रकार की घटना की जानकारी प्रायः सबसे पहले प्राप्त होती है। अतः पुलिस को सूचना मिलते ही तुरन्त मौके पर पहुंचकर घटना के विषय में विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करके घटना के संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों एवं संस्थाओं को सूचना का संप्रेषण करना, घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्य को संरक्षित रखना, घायलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना तथा क्षेत्र में फंसे लोगों को वहाँ से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का कार्य करना पड़ता है। यद्य पि इस कार्य में अग्निशमन सेवा, चिकित्सालय, अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाऐं सम्मिलित रहती है, परन्तु समन्वय स्थापित करने की प्रारंभिक जिम्मेदारी पुलिस की ही होती है। स्थानीय प्रशासन पर विभिन्न संस्थाओं के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये जिला एवं राज्य स्तर पर कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिये, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के

PTS Kherwara, Udaipur

ढ़ाचे एवं कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख हो ताकि आवश्यकतानुसार सभी एजेन्सियां एवं संस्थायें प्रभावी कार्यवाही कर सकें। इस तरह की कार्ययोजना रहने पर जनहानि तथा सम्पति के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
उपरोक्त कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिये जिला पुलिस को अपने पास आपदा पुस्तिका (Disaster Manual) तैयार करके रखना चाहिये, जिसमें निम्नलिखित सूचनायें हों –

1. विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदा का विवरण
2. आपदाओं के बारे में अफवाहें, जिन्हें दूर किया जाना होता है।
3. स्थानीय प्रशासन, जैसे– म्यूनिसपल, पंचायत के अधिकारियों के विषय में जानकारी
4. गांव, वार्ड, सेक्टर आदि का मानत्रित व विवरण
5. स्थानीय प्रशासन के पदाधिकारियों का उत्तरदायित्व
6. गैर–सरकारी संगठनों की सूची तथा उनके पदाधिकारियों के नाम
7. आपदा प्रबंधन के लिये सरकारी धन की व्यवस्था तथा अन्य स्रोतों के विषय में जानकारी
8. स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका
9. विभिन्न स्तरों पर प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षणों का विवरण
10. समय–समय पर जागरूकता पैदा करने हेतु किये जाने वाले प्रदर्शन एवं अभ्यासों का विवरण
11. अभिलेखीकरण

आकस्मिक कार्ययोजना तैयार किया जाना

आकस्मिक कार्ययोजना में निम्न विवरण विस्तार से अंकित किये जाने चाहिये ताकि समय–समय पर स्थानान्तरण के उपरान्त पुलिसकर्मियों को आपदा प्रबंधन के लिये पर्याप्त मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।

1. क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी, क्षेत्र की बनावट (Topography)
2. जलवायु
3. जनसंख्या तथा उसकी संरचना, जाति, लिंग व धर्मवार
4. उद्योग व व्यापार
5. प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदा इसके अंतर्गत क्षेत्र में घटित प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं का इतिहास विस्तार से अंकित किया जाना चाहिये।
6. नेतृत्व का स्पष्ट उल्लेख, जिसमें निम्न बातों का उल्लेख अवश्य हो –
   1. शासन का ढाँचा तथा विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों की शक्ति एवं उनका उत्तरदायित्व
   2. कमाण्ड
   3. आवश्यक सेवा प्रदाता संस्था की सेवाओं में भूमिका
   4. आकस्मिक एवं अन्य सेवा संस्थायें –
      4.1 चेन ऑफ कमाण्ड
      4.2 पता एवं टेलीफोन नम्बर

PTS Kherwara, Udaipur

4.3 अग्नि शमन, जलापूर्ति, चिकित्सा, यातायात, रेलवे, टेलीफोन, रेडक्रास सोसायटी, सिविल डिफेंस आदि संस्थाओं तथा गैरसरकारी संगठनों को इस सूची में शामिल किया जाये।

7. सूचना प्राप्त करने तथा उसके संप्रेषण की व्यवस्था
8. कन्ट्रोलरूम की स्थापना
9. विभिन्न संस्थाओं से संबंध रखने वाले / पदाधिकारियों के नाम एवं टेलीफोन नम्बर
10. घटनास्थल पर की जाने वाली व्यवस्था

I. प्रत्येक संस्था / विभाग के उत्तरदायित्व एवं कार्य का अभिलेखीकरण की जाने वाली व्यवस्था

II. मौके पर पहले उपस्थित होने वाले पुलिस अधिकारी के लिये दिशा–निर्देश

III. नियंत्रण कक्ष, स्टाफ, जाँचकर्ता अधिकारी तथा पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारियों के उत्तरदायित्व

I. संबंधित विभाग को सूचना देना

II. चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना तथा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को सूचना देना

III. जीवित बचे लोगों के लिये कैम्प की स्थापना

IV. घटना में मृत व्यक्तियों की पहचान हेतु अस्थाई मोर्चरी की स्थापना

V. क्षेत्र को खाली कराना

VI. यातायात ट्रैफिक की व्यवस्था

VII. सम्पत्ति की सुरक्षा

VIII. शांति व्यवस्था बनाये रखना

IX. घटना की सूचना पर आने वाले वी.आई.पी. की सुरक्षा

X. घटनास्थल पर मीडिया को सही तथ्यों की जानकारी देने के लिये नोडल अफसर की नियुक्ति

XI. मीडिया के लिये लाईजन अफसर की नियुक्ति

XII. संचार व्यवस्था स्थापित करना

11. जनसाधारण को दी जाने वाली सूचना
    11.1 लाउड स्पीकर की व्यवस्था
    11.2 सही एवं स्पष्ट सूचना का प्रसारण
12. बचाव कार्य।
13. मलबा हटाने का कार्य
14. शिक्षा एवं प्रशिक्षण
    14.1 स्वयंसेवकों तथा स्वैच्छिक संगठनों एवं सरकारी कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था

PTS Kherwara Udaipur

14.2 शैक्षिक संगठन आपदा निवारण में स्वैच्छिक संगठनों की तैयारी, अनुभव एवं योग्यता का लाभ लेना

15. आकस्मिक कार्ययोजना का पूर्वाभ्यास एवं प्रदर्शन समय–2 पर विभिन्न एजेन्सियों एवं मीडिया को साथ लेकर इस प्रकार के अभ्यास एवं प्रदर्शनी आयोजित करनी चाहिये ताकि कार्ययोजना के बारे में शामिल लोगों, कर्मचारियों एवं सस्थाओं के साथ–2 आमजन में भी जागरूकता आ सके।

16. कार्ययोजना का मूल्यांकन समय–2 पर आकस्मिक कार्ययोजना का मूल्यांकन किया जाना चाहिये तथा उसमें सूचनाओं को आवधिक किया जाना चाहिये।

(क) आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका –

आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में पुलिस की केन्द्रीय भूमिका है। पुलिस निरन्तर कार्य करने वाली संस्था है, जिसका नेटवर्क सदैव क्रियाशील रहता है। जब भी कोई आपदा घटित होती है. तो इसकी सूचना प्रायः सबसे पहले पुलिस थाने को प्राप्त होती है और सूचना के संबंधित को सम्प्रेषण, विभिन्न चरणों में राहत एवं बचाव कार्य में लगी विभिन्न संस्थाओं को सहयोग, घटना की विवेचना, अतिविशिष्ट लोगों की भ्रमण के दौरान सुरक्षा तथा घटना में प्रभावित व्यक्तियों की चिकित्सा एवं पुनर्वास तक पुलिस समन्वयक की मुख्य भूमिका निभाती है, इसलिए आपदा प्रबन्धन में पुलिस द्वारा तैयार कार्ययोजना और उसका क्रियान्वयन आपदा के लिए किए गये अभ्यास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपदा प्रबन्धन में पुलिस को परिणामों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है।

आपदा के प्रकार–

आपदा को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :–

1. प्राकृतिक आपदा
2. मानवजनित आपदा

दोनों ही प्रकार की आपदा में बड़ी संख्या में जनहानि तथा सम्पत्ति को नुकसान पहुंचता है। जहां तक प्राकृतिक आपदा का प्रश्न है, इसे नियंत्रित करना मुश्किल है क्योंकि प्रकृति पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं है। अतः इस प्रकार की आपदा को ईश्वरीय देन मानकर इससे निपटने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाती है। प्राकृतिक आपदा भूकंप. बाढ़, सूखा, तूफान, महामारी आदि के रूप में हो सकती है। इसके बारे में न तो कोई पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, न ही इसकी विकरालता की पूर्व से जानकारी की जा सकती है। अतः इस प्रकार की आपदा से निपटने के लिए देश में उपलब्ध विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कार्य किया जाता है।

इसके विपरीत मानवजनित आपदा प्रायः मानव भूल या यांत्रिक त्रुटि के कारण होती है, जिसमें पूर्वानुमान लगाना सम्भव हो पाता है, परन्तु कई बार इसका पूर्वानुमान बिल्कुल ही नहीं लगाया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप चौरनॉविल आणविक दुर्घटना तथा भोपाल गैस त्रासदी जैसी घ ाटनायें अप्रत्याशित थीं, जिन्हें दशकों बाद भी नहीं भुलाया जा सकता है। ये पूर्णतया मानव भूल एवं लापरवाही का परिणाम थीं। मानवजनित आपदा को पर्याप्त सावधानी तथा सतर्कता के द्वारा निश्चित रूप से टाला या कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आज के युग में आतंकवाद एवं आतंकी गतिविधियों के कारण पैदा की गयी आपदायें सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आयी है। कुछ मानवजनित आपदाएं निम्नांकित हैं, जैसे वायु, रेल तथा

PTS Kherwara, Udaipur

जलयान दुर्घटना, आग, विस्फोट, भवन गिरने की घटना, औद्योगिक दुर्घटना, आतंक एवं सामूहिक नरसंहार, युद्ध आदि।
पुलिस की भूमिका एवं कार्यक्षेत्र

1. भीड नियंत्रण– विभिन्न प्रकार की आपदाओं के विगत अनुभव से माना है कि किसी घटना के होने पर जिज्ञासावश बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल की और पहुंचना शुरू कर देते है, जिससे राहत कार्य में बाधा आती है, साथ ही महत्वपूर्ण साक्ष्यों के नष्ट होने का भी खतरा रहता है। अतः ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण हेतु पुलिस व्यवस्था की जानी चाहिये।
2. यातायात व्यवस्था– घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल तक ले जाने तथा विभिन्न सेवा प्रदाता एजेन्सियो की पहुँच घटनास्थल पर हो, इसके लिये आवश्यक है कि सुचारू यातायात व्यवस्था की जाये। घटनास्थल से चिकित्सालय तथा सेवा प्रदाता संस्थान, जैसे अग्निशमन दल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डो के बीच समानान्तर यातायात व्यवस्था बनायी जानी चाहिये ताकि ट्रैफिक के कारण कोई रूकावट पैदा न हो सके। ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में लाउडस्पीकर, रेडियो एवं टी.वी. आदि के द्वारा प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिये।

3. क्षेत्र की तलाशी एवं उसे खाली कराया जाना– प्रायः घटनास्थल पर पुलिस ही सबसे पहले पहुंचती है। अतः उस समय घायल व्यक्तियों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिये तथा क्षेत्र को खाली कराये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि अन्य आवश्यक सेवा प्रदाताओं को परेशानी न हो। उसे पर्याप्त सावधानी के साथ हटाया जाना चाहिये। क्षेत्र को खाली कराये जाने अथवा आवश्कयतानुसार यदि घर के अंदर लोगों को रहने की अनुमति दी जाती है तो इस तरह की घोषणा पुलिस के द्वारा ही स्थिति के आवश्यक मूल्यांकन के उपरान्त लाउडस्पीकर से करनी चाहिये।
4. सम्पत्ति की सुरक्षा– घटना के बाद प्रायः आपराधिक तत्व चोरी, लूट–पाट आदिकी घटनाओं में लिप्त हो जाते हैं। अतः पुलिस को चाहिये कि लोगों की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये तत्काल आवश्यक प्रबन्ध करे तथा आवश्यकतानुसार पुलिसकर्मियों की नामजद ड्यूटी लगायी जाये ताकि आम जनता की सम्पत्ति की सुरक्षा हो सके।
5. घटना की आपराधिक– विवेचना यदि आपदा के पीछे कोई आपराधिक कारण परिलक्षित हो तो पुलिस को इस विषय में तत्काल प्रथम सूचना अंकित कर विवेचना शुरू करनी चाहिए। इसके लिये खोजी कुत्ते, बम डिस्पोजल स्क्वाड तथा फोरेंसिक विशेषज्ञों को घटनास्थल पर आने की सूचना तत्काल दी जानी चाहिये। घटना की गंभीरता एवं महत्ता को देखते हुए विवेचना के लिए पुलिस अधिकारियों की विभिन्न टीमें तत्काल गठित की जानी चाहिये। इस दौरान उपलब्ध लोगों के साक्ष्य, उन व्यक्तियों की वीडियो रिकॉर्डिंग, घटनास्थल पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य आदि को एकत्रित कर लेना चाहिये। यदि गिरफ्तारी की आवश्यकता हो तो आवश्यकतानुसार गिरफ्तारी की जानी चाहिये तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
6. नियंत्रण कक्ष की स्थापना– घटना के तत्काल बाद सूचनाओं के आदान प्रदान, प्रेस एवं मीडिया को तथ्यों की सही जानकारी देने तथा अफवाहों को शांत करने के उद्देश्य से एक वृहद् नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जानी चाहिये। इसमें आवश्यकतानुसार आम आदमी, मीडिया तथा बचाव कार्य में लगी विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अलग अलग उपनियंत्रण काउण्टर्स लगाये जाने चाहिये। काउन्टर्स पर जिम्मेदार एवं सहनशील पुलिसकमी तैनात किये जाने चाहिये, जो विभिन्न भाषाओं की जानकारी रखते हों, संवेदनशील हो तथा अपने

PTS Kherwara, Udaipur

कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिये पूर्व में परखे जा चुके हों। इनके पास घटना की अद्यतन जानकारी तथा घायल ६ मृतकों के विषय में विवरण निरन्तर उपलब्ध कराया जाना चाहिये ताकि सही सूचना का आदान–प्रदान हो सके। इन नियंत्रण उपकेन्द्रों के लिये निर्धारित टेलीफोन नम्बरों को रेडियो, टी.वी. एवं अन्य संचार के माध्यमों से जनसाधारण को उपलब्ध कराने हेतु पुलिसकर्मी तैनात किये जाने चाहिये। नियंत्रणकक्ष में अभिलेखीकरण पर विशेष बल दिया जाना चाहिये और यदि संभव हो तो वहां प्राप्त होने वाली एवं दी जाने वाली सूचना को रिकॉर्ड किया जाना चाहिये। इन घटनाओं के बाद होने वाली विभिन्न प्रकार की न्यायिक एवं अन्य जाँचों में इस तरह के अभिलेखों के होने पर काफी सुविधा होती है।

7. वी.वी.आई.पी./ वी.आई.पी. भ्रमण– आमतौर पर बड़ी घटनाओं के तत्काल बाद राजनैतिक कारणों से विभिन्न विशिष्ट महानुभावों तथा अन्य राजनैतिक व्यक्तियों का तुरन्त आगमन शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में न सिर्फ उनकी सुरक्षा बल्कि शांति व्यवस्था की गंभीर समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इन महानुभावों की सुरक्षा के लिये अलग से पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जाये। राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए पुलिसकर्मियों को इस कार्य से अलग रखा जाना चाहिये क्योंकि यदि उन्हें महानुभावों की सुरक्षा तथा राहत कार्य करने की दोहरी जिम्मेदारी दी जायेगी तो किसी भी कार्य को जिम्मेदारी के साथ निभा नहीं पायेंगे। प्रयास यह किया जाना चाहिये कि इस तरह के राहत एवं बचाव कार्य में बाधा न उत्पन्न होने पाये। इस सम्बन्ध में पुलिस के अधिकारियों को महानुभावों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करके उन्हें यथासम्भव जनहित में भ्रमण स्थगित करने हेतु अनुरोध भी करना चाहिये। यदि पर्याप्त पुलिस उनकी सुरक्षा हेतु उपलब्ध नहीं है तो ऐसे महानुभावों को भ्रमण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

8. मृतक एवं घायलों की शिनाख़्त– मृतकों एवं घायलों की शिनाख्त हेतु एक अलग पुलिस टीम बनायी जानी चाहिये, जो उनकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी तथा उनसे संबंधित सूचनाओं को तरतीबवार संकलित कर उनके चिकित्सा के स्थान,पोस्टमार्टम एवं अतिम संस्कार आदि का पूरा रिकॉर्ड रखे। मृतकों की शिनाख्त करने वाले व्यक्तियों का पूरा विवरण, शव को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का फोटोग्राफ तथा उनका विवरण अच्छी तरह तैयार करना चाहिये क्योंकि कई बार इस तरह की आपदाओं के बाद घोषित होने वाली सहायता राशि को प्राप्त करने के लिये अनधिकृत व्यक्ति मृतक को अपना रिश्तेदार बताकर धन लेने का प्रयास करते हैं तथा मृतकों के नाम–पते गलत दर्ज करा दिये जाते है, जिससे बाद में कई कानूनी पेचीदगियां पैदा हो जाती है। अतः घायलों तथा मृतकों की शिनाख्त तथा घटनास्थल से अस्पताल, राहत केन्द्र, मुर्दाघर तथा उनके अंतिम संस्कार स्थल तक स्पष्ट छायांकन तथा अभिलेखीकरण किया जाना चाहिये।

9. स्वागत केन्द्र आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि बड़ी दुर्घटनाएँ या बम विस्फोट आदि के उपरांत बड़ी संख्या में दूर–दराज क्षेत्रों से घायल तथा मृतकों के रिश्तेदार एवं बड़ी संख्या में लोग अपने परिजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये एकत्रित होते है। जिनको सही जानकारी देने तथा इनके ठहरने के लिये स्वागत केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिये, जैसे इनके बैठने, खाने–पीने आदि की व्यवस्था करायी जानी चाहिये। स्वैच्छिक संगठनों के स्वयंसेवकों को इनके सहायतार्थ लगाया जाना चाहिये, जोकि किसी पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य करें।

10. विदेशियों के बारे में सूचना– यदि किसी विदेशी नागरिक की घटना में घायल या मृत्यु होती है तो पुलिस को चाहिये कि उसके संबंध में विस्तृत सूचना शवियना कन्वेंशनश में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संबंधित देश के दूतावास को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाये।

PTS Kherwara, Udaipur

(ख) बचाव एवं राहत :

प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़, भूकम्प, चक्रवात, अन्य आपदाएं जैसे– सुखा, तूफान, आगजनी की घटनाएं एवं गम्भीर दुर्घटनाएँ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA)

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एक राष्ट्रीय संस्था है, जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री व उपाध्यक्ष केबिनेट मंत्री स्तर का होता है। प्राधिकरण में आठ अन्य सदस्य राज्यमंत्री/ स्तर के होते है। प्रत्येक सदस्य का कार्यक्षेत्र विभाजित होता है, जो समस्त राज्यों में फैला होता है। अपने कार्य निष्पादन हेतू प्राधिकरण ने एक सुव्यवस्थित ढांचा तैयार किया है, जो सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक एवं ज्ञान के आधार पर अपने कार्य सम्पन्न करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सचिवालय में एक सचिव होता है, जो निरंतरता व समन्वय बनाये रखता है। जिसके अधीन आपदा प्रबन्धन के दो उप विभाग (विंग) होते हैं।

आपदा प्रबन्धन विंग प्रथम :–

जो आपदा न्यूनीकरण, तैयारी पुनःनिर्माण समूह, जागरूकता एवं वित्तीय व प्रशासनिक व्यवस्थाए देखता है।

आपदा प्रबन्धन विंग द्वितीय :–

जो विभिन्न राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन केन्द्रों के बीच समन्वय, प्रशिक्षण कैपेसिटी बिल्डिंग आदि पर कार्य करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) के कार्य व जिम्मेदारियाँ :–

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आपदा प्रबन्ध हेतु कार्ययोजना बनाना, उनको लागू करना व उनका मूल्यांकन करने के लिए एक सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था है। इसके कार्यक्षेत्र निम्नलिखित है :–

1. आपदा प्रबन्धन हेतु कार्य नीति तैयार करना
2. राष्ट्रीय योजना को स्वीकृति प्रदान करना
3. विभिन्न मंत्रालयों व विभागों द्वारा तैयार योजनाओं को राष्ट्रीय योजनाओं के अनुरूप स्वीकृत करना
4. राज्यों के लिए उनकी योजनाओं हेतु दिशा–निर्देश तैयार करना।
5. केन्द्र के विभिन्न विभागों के मंत्रालयों के लिए आपदाओं से निपटने, उनकी रोकथाम, आपदाओं का असर कम करने के लिए एवं उनसे जुड़े विकास के कार्य व प्रोजेक्ट के लिए दिशा–निर्देश तैयार करना
6. आपदा प्रबन्धन की नीतियों का बेहतर समन्वय एवं उन्हें लागू करना
7. आपदाओं के न्यूनीकरण की योजनाओं के लिए धन प्रबन्धन करना
8. केन्द्र सरकार के निर्देश पर अन्य देशों को आपदा प्रबन्धन में सहयोग करना

PTS Kherwara, Udaipur

9. नेशलन इन्सटीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नीतियां एवं दिशा–निर्देश जारी करना

राज्य आपदा उत्तरदायी कोष (SDRF) :–

जिस तरह NDMA किसी राष्ट्रीय स्तर की आपदाओं से निपटने के लिए संस्थागत तरीके से निवारण कार्य करती है, उसी तरह SDRF भी प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय आपदाओं से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार करती है।

विभिन्न आपदाओं में बचाव व राहत कार्य :–

बाढ़ :–

बाढ़ आने का कारण अत्यधिक वर्षा का होना है, जिसमें पानी नदी, नालों व बांधों को तोड़ कर बाहर फैल जाता है, जिससे काफी जन–धन की हानि होती है। बाढ़ के दौरान पुलिस के कर्तव्य निम्न है –

1. प्राकृतिक विपदाओं से सम्बन्धित सूचनाओं को जनता तक अधिक से अधिक तीव्र पहुँचाएं व सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दें। जैसे किसी बांध से अधिक पानी की निकासी पर नीचे के क्षेत्रों को सूचना तीव्रता से पहुँचाए, जिससे पानी का स्तर बढ़ने तक वो अपने जन व धन को सुरक्षित स्थान पर ले जा सके।
2. बाढ़ आने की सूचना मिलते ही तुरन्त प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस को पहुंचना चाहिए एवं बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए एवं उनकी सम्पत्ति के नुकसान से बचाने के भी उपाय किए जाएँ।
3. बाढ़ आने से पूर्व ही पुलिस को बाढ़ निरोधक उपकरण, जैसे नावें, लाइफ जैकेट, रस्से, मिट्टी के कट्टे (बोरे) आदि तैयार रखने चाहिए, अच्छे तैराकों से सम्पर्क होना चाहिए।
4. कमजोर वर्ग, विशेषकर महिलाऐं व बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा बाढ पीड़ितों की सहायता के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें प्रेरित कर उनसे सहयोग लेना चाहिए।
5. बाढ़ के दौरान बदमाश व अपराधी तत्व लोगों की सम्पत्ति को हड़पने व लूटमार करने की कोशिश करते हैं। अतः ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर नजर रख उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।
6. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द आवश्यक सेवाएं, जैसे बिजली, पानी, भोजन, चिकित्सा आदि उपलब्ध करवाने हेतु अन्य सम्बन्धित विभागों से बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहिए।

ज्वालामुखी :–

ज्वालामुखी धरातल के उन प्राकृतिक छिद्रों को कहते हैं, जिनसे होकर लावा तथा गैसें बाहर निकलती है। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान गर्म लावा, तप्त गैसें, उष्ण जल एवं अन्य पदार्थ एक दरारनुमा गोलाकार छिद्र से बाहर निकलते हैं, जिसे ज्वालामुखी नली (वोलकैनिक पाइप) कहते हैं। इसके उपरी भाग को ज्वालामुखी कहते हैं।

पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण उत्पन्न आपदाओं में ज्वालामुखी का प्रमुख स्थान है। ज्वालामुखी क्रिया एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा के रूप में प्राकृतिक एवं सांस्कृ तिक पर्यावरणीय स्वरूपों पर विनाशकारी प्रभाव डालती है। ज्वालामुखी उद्‌गार से निःसृत ज्वलंत लावा प्रवाह, विभिन्न प्रकार के ठोस टुकड़े तथा विषैली गैसे अपना दुष्प्रभाव पर्यावरण पर छोड़ते हैं। मानव निर्मित भवन, छोटे बड़े बांध, सड़कें, जलाशय आदि का नुकसान होता है। ज्वालामुखी की राख काफी दूर दराज तक कई हजार किलोमीटर तक फैल जाती है, जिससे हवाई यात्राऐं कई दिनों तक प्रभावित हो जाती है।

PTS Kherwara, Udaipur

भूस्खलन :–

भूस्खलन एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा है। इस घटना में भूमि का एक भाग टूटकर निम्नतर भागों की ओर खिसकता है। यह क्रिया गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्राकृतिक रूप से होती है। यह क्रिया अधिकांशतः पर्वतीय उच्च प्रदेशों में होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ तीव्र ढ़ाल पाया जाता है, चट्टानों का विशाल भाग खिसककर एक बड़ी प्राकृतिक आपदा को जन्म देता है। स्विटजरलैण्ड, नार्वे तथा कैनेडियन स्वकीय पर्वत आदि में गाँव को तीव्र दाल क्षेत्रों के तटीय भागों में बनाते हैं, जहाँ भूस्खलन से कई हजार लोग मारे जाते है, गाँव के गाँव तवाह हो जाते हैं, रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। भूस्खलन अधिकतर वर्षा के दिनों में होता है।

सूनामी :–

सुनामी विशाल सागरीय लहरें हैं, जो मूलतः सागरीय तलों में आने वाले भूकम्प एवं भूस्खलन के कारण होती है। यह एक विनाशकारी सागरीय लहर के लिए प्रयुक्त जापानी शब्द है, जो दो शब्दों TSU = Harbour (पोताश्रय) Nami = waves (लहर) से मिलकर बना है। समुद्र में भूकम्प के कारण कम्पन से समुद्री लहरें काफी ऊँचाई तक उठती है, जो भूकम्प की तीव्रता पर निर्भर करती हैं। कई बार इन लहरों की ऊँचाई 30 मीटर तक होती है, जो समुद्रतटीय इलाकों से टकराने के बाद भयंकर विनाश मचाती है। सुनामी से भारी जन–धन की हानि होती है। 26 दिसम्बर 2004 को इण्डोनेशिया, म्यांमार, भारत, श्रीलंका तथा मालदीव में आयी सुनामी ने भारी तबाही मचा दी, जिसमें करीब 1 लाख 60 हजार लोग मारे गए। 11 मार्च 2011 में जापान में सुनाची से सेन्दई शहर पूरी तरह तबाह हो गया, जहाँ करीब 15000 व्यक्ति मौत के गाल में समा गए एवं फ्यूकोसीमा परमाणु संयन्त्र में भारी तबाही हुई है।

भूकम्प :–

हमारे देश में कई भागों में भूकम्प आने की घटनाएं होती रहती है, जिसके कारण जन व ध ान की काफी हानि होती है। वर्ष 1993 में महाराष्ट्र में लाटूर व किल्लारी में व 26 जनवरी 2000 को गुजरात में आए भूकम्प ने बड़े पैमाने पर जन व धन की हानि पहुंचाई। भूकम्प नापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार भूकम्प की तीव्रता 1 से 9 तक होती है, तीव्रता की प्रत्येक इकाई वृद्धि के साथ इसकी शक्ति बढ़कर 10 गुना हो जाती है। सामान्यतया 5 तक के मान वाले भूकम्प से नुकसान नहीं पहुंचता है।

भूकम्प पीड़ितों के लिए पुलिस के निम्न कार्य है :–

1. भूकम्प आने की सूचना मिलने पर पुलिस को तुरन्त भूकम्प पीडित क्षेत्र में पहुंच कर घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए।
2. सभी सरकारी ऐजेन्सियों व उच्चाधिकारियों को तुरन्त सूचना देकर निजी व सरकारी संस्थाओं से उचित समन्वय स्थापित कर भूकम्प पीड़ितों की मदद करनी चाहिए।
3. मलबे में दबे व्यक्तियों को निकालने की और उन्हें अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
4. भूकम्प पीड़ित क्षेत्र में पुलिस गार्ड/ गश्त लगानी चाहिए ताकि असामाजिक व आपराधिक तत्वों पर रोकथाम लग सके व लोगों की सम्पति सुरक्षित रह सके।

PTS Kherwara, Udaipur

5. भूकम्प पीडित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, उनके लिए भोजन जुटाने का प्रयास करना चाहिए। स्वयंसेवी संगठनों से सम्पर्क कर रिलीफ कैम्प लगाने चाहिए।

चक्रवाती तूफान / तूफान :–

यह प्राकृतिक आपदा है, जिससे काफी जन–धन की हानि होती है। तूफान अक्सर स्थानीय किस्म के होते है, परन्तु इसकी गति के कारण इसकी भयावहता काफी अधिक होती है। इसके अत्यधिक वेग के कारण इसमें अधिक शक्ति होती है, जिसके कारण जन–धन को अधिक नुकसान पहुंचता है।

चक्रवाती तूफान विशेषकर तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, जो अपने समुद्री पानी को तीव्र गति से अन्दरूनी इलाकों में ले जाते हैं, जिससे काफी जन–धन की हानि होती है, संचार व्यवस्था ठप हो जाती है, सड़क व रेल यातायात प्रभावित हो जाता है।

तूफान ग्रसित क्षेत्रों में पुलिस को निम्न भूमिका निभानी चाहिए :–

1. तूफान आने की पूर्व सूचना इलाके में प्रसारित करें, व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दें।
2. तूफानग्रस्त क्षेत्रों के बारे में उच्चाधिकारियों को सूचित करें व उनके निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
3. तूफान में फंसे लोगों को बचाने में प्रशासन की पूरी मदद करें व अन्य विभागों से तालमेल करें।
4. तूफान पीडित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की व्यवस्था करें।
5. तूफान पीड़ित व्यक्तियों की मदद के लिए गैरसरकारी संस्थान व सामाजिक संस्थाओं को प्रेरित करें।
6. यातायात व्यवस्थाओं पर नियंत्रण कर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाए व सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करें।

अकाल :–

यह एक प्राकृतिक विपदा है, जो वर्षा न होने के कारण उत्पन्न होती है। यदि लगातार कई वर्षों तक वर्षा न हो तो उस क्षेत्र में फसल नहीं होती है, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध नहीं होता है, पानी की कमी हो जाती है, सूखा क्षेत्र में खाद्य सामग्री की कमी हो जाती है तथा लोगों को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है, उनके आय के स्रोत घट जाते हैं एवं कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।

राजस्थान प्रदेश, जो वर्षा के ऊपर काफी निर्भर है, अक्सर अकाल जैसी त्रासदी का सामना करता है फिर भी विगत कुछ वर्षों में नहरी पानी, बेहतर समन्वय व सरकारी प्रयासों से इसके असर को कम करने में मदद मिली है।

अकाल की स्थिति में पुलिस को निम्न कार्य करने चाहिए :–

1. अवैध संग्रहण व काला बाजारी पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। जिन व्यक्तियों ६ व्यापारियों ने अनाज गोदाम में भरकर छिपा रखा है व काला बाजारी कर रखी हो, उन पर छापे मारकर उनके खिलाफ सम्बन्धित विभाग से मिलकर कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सही बनाए रखने के लिए अनाज व आवश्यक वस्तुओं के वितरण पर निगरानी रखें व दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें।

PTS Kherwara, Udaipur

3. अकाल पीड़ित व्यक्तियों की मदद के लिए स्वयंसेवी संगठनों से सम्पर्क कर उन्हें प्रेरित करें।
4. असामाजिक व गुण्डा तत्वों पर निगरानी रखे व लोगों के जान व माल की रक्षा करें।
5. अकाल की स्थिति में स्थानीय लोग दूर–दराज के क्षेत्र में आते–जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों पर नजर रखे।

आगजनी की स्थिति में

आग लगने पर पुलिस को निम्न कार्य करने चाहिए –
1. आग लगने की स्थिति की सूचना मिलने पर सर्वप्रथम फायर ब्रिगेड को व उच्चाधिकारियों को सूचित करें।
2. घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय व्यक्तियों की मदद से आग पर नियंत्रण के प्रयास करने चाहिए व पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित निकालने के प्रयास करने चाहिए तथा इलाज के लिए उन्हें तुरन्त अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
3. घटनास्थल से सम्पति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
4. मौके पर स्थिति को नियंत्रण में रखना चाहिए व पर्याप्त संख्या में पुलिस बल रखना चाहिए एवं जब तक फायर ब्रिगेड न पहुंचे, तब तक स्थानीय लोगों को आग पर काबू पाने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
5. फायर ब्रिगेड पहुंचने के लिए उसके आवागमन को घटनास्थल तक सुनिश्चित करना चाहिए।
6. फायर ब्रिगेड में पानी खत्म होने पर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।
7. यदि आग तेल डिपो, पैट्रोल पम्प आदि पर लगी हो तो अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करें, प्रभावित आग क्षेत्र को सामान्य क्षेत्र से विभाजित करना चाहिए, जिससे आग फैलने से रोकी जा सकती है।
8. स्थानीय संसाधन जैसे रेत के बोरों का प्रयोग करना चाहिए।

बम विस्फोट :–

बम या बम विस्फोट की सूचना मिलने पर सुरक्षा से सम्बन्धित किये जाने वाले कार्य :–
1. जब भी बम की सूचना मिले तो अपना धैर्य व शांति बनाये रखना चाहिए।
2. किसी भी सूचना या धमकी को अफवाह या झूठा करार न दें, उसकी सत्यता की परख करनी चाहिए।
3. सूचना देने वाले से अधिक से अधिक जानकारी हासिल करें।
4. जहां बम विस्फोट हो गया है, वहा से आमजन को दूर रखे, उस क्षेत्र को सुरक्षित रखें, लोगों की आवाजाही उस स्थान से बंद रखें।
5. घटनास्थल पर दक्ष व प्रदर्शित दस्ते को नियुक्त करें।
6. हताहतों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराए एवं इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करें।
7. एक बम विस्फोट के तुरन्त बाद उसके आस–पास दूसरा बम विस्फोट भी हो सकता है, इसलिए सक्रिय रहे।
8. घटना की सम्पूर्ण सूचना तुरन्त अपने उच्चाधिकारियों एवं प्रशासन को दें।
9. मलबा हटाने की व्यवस्था करें, अन्य विभागों से इस कार्य में सहयोग प्राप्त करें।

RTSKherwara, Udaipur

10. मलबे में दबे हताहतों को निकालने के लिए बचाव दल आने तक स्थानीय लोगों की मदद से कार्यवाही करें।
11. आग पर नियंत्रण रखें व फायर ब्रिगेड को सूचना दें।
12. बचाव दलों को घटनास्थल के बारे में सही जानकारी दें, जिससे बचाव कार्यवाही अतिशीघ्र की जा सके।
13. सूचना केन्द्र/कन्ट्रोल रूम में विस्फोट में घायल व मृत व्यक्तियों की सूचना भिजवाएं।

गम्भीर दुर्घटनाएं (Accident) :–

आज हमारा देश तीव्र गति से विकास कर रहा है। इस तकनीक युग में छोटी सी गड़बड़ी या मानवीय मूल गम्भीर दुर्घटना को अंजाम दे देती है, जिसमे हमें भारी जन व धन की हानि उठानी पड़ती है तथा मौके पर अफरा–तफरी मच जाती है। चाहे वो ट्रेन एक्सीडेन्ट हो, गम्भीर सड़क दुर्घटना, बम विस्फोट की स्थिति हो तो पुलिस की भूमिका ऐसी परिस्थिति में अतिमहत्वपूर्ण हो जाती है।

पुलिस के कर्तव्य :–

1. घटनास्थल पर बिना विलम्ब के पहुंचकर स्थिति का जायजा लें।
2. सर्वप्रथम घटनास्थल / मौके पर घायल व फंसे हुए व्यक्तियों को निकाल कर उन्हें प्राथमिक उपचार के पश्चात् अस्पताल पहुंचाए।
3. यदि मौके पर वाहनों में या दुर्घटनाग्रस्त रेलगाड़ी में लोग फंसे हुए हैं तो उन्हें निकालने की व्यवस्था की जावे। गैस कटर इत्यादि ।
4. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों व रेलगाड़ियों में यात्रियों का सामान सुरक्षित रहे, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में स्थानीय बल तैनात किया जाए।
5. मौके पर राहत कार्य के लिए स्थानीय लोगों व स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करें।
6. मौके से लगातार उच्चाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित रखें व अन्य विभागों से बेहतर तालमेल व समन्वय स्थापित करें।
7. बचाव कार्य में मौके पर डाक्टर, एम्बुलेंस व 108 को बुलाएं व उनकी सेवाएं प्राप्त करें।

PTS Kherwara, Udaipur

प्राथमिक चिकित्सा एवं व्यावहारिक प्रदर्शन

रेड क्रॉस

रेड क्रॉस की शुरूआत फ्रांस और आस्ट्रिया के मध्य सन् 1850 के युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की देखभाल से हुई। जिसका श्रेय स्वीडन के व्यवसायी श्री हेनरी डूनेन्ट को जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना मानव जीवन को बचाने, उसे सम्मानपूर्वक जीने तथा बिना जाति, धर्म, देश, लिंग एवं धार्मिक भावनाओं के भेदभाव के उनकी पीड़ा दूर करने के उद्देश्य से की गई थी।

इन्टरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस (ICRC) की स्थापना सन् 1876 में हुई थी। शांति के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डूनेन्ट व फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से उन के कार्यों के लिए वर्ष 1901 में प्रदान किया गया था। वर्ष 1917 में, 1944 में व 1962 में (ICRC) को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अन्तराष्ट्रीय संस्था में करीब 9 करोड़ 70 लाख स्वयंसेवी व्यक्ति जुड़े हुए हैं।

प्राथमिक चिकित्सा का महत्व एवं पुलिसकर्मियों द्वारा फर्स्ट एड

प्राथमिक सहायता (फर्स्ट एड) क्या है–

दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले जो तुरन्त सहायता दी जाती है, उसको प्राथमिक उपचार कहते है।

प्राथमिक सहायता डॉक्टर के आने से पहले या अस्पताल तक घायल या रोगी को पहुंचने से पहले दी जाने वाली सहायता या उपचार है, चिकित्सा नहीं। हमारा काम उस समय समाप्त हो जाता है, जब पीड़ित को डॉक्टरी सहायता प्राप्त हो जाती है।

1. प्राथमिक सहायता का उद्देश्य हरसंभव उपायों से रोगी या घायल व्यक्ति की मदद करना है ताकि उसे आराम मिल सके, उसका जीवन बचाया जा सके और घाव या चोट को गम्भीर स्थिति तक पहुँचने से रोका जा सके।
2 पुलिसकर्मियों द्वारा फर्स्ट एड पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों को हर पल दुर्घटना से रूबरू होने की आशंका बनी रहती है। दुर्घटना, रेल दुर्घटना, बाढ़, दंगा एवं अपराधियों के साथ पुलिस मुठभेड़ आदि जैसे अवसरों पर प्राथमिक सहायता की तुरन्त आवश्यकता पड़ती है। अतः पुलिसकर्मियों को फर्स्ट एड की जानकारी एवं प्रशिक्षण नितांत आवश्यक है।

घायल लोगों और बीमारों को सहायता देने में निम्नलिखित बातों का समझना आवश्यक हैः–

1. पहले रोगी की दशा और रोग को भली–भांति पहचानना चाहिए ताकि उसे उचित सहायता दी सके। इस बात का विचार करना भी उचित है कि रोगी को कितनी, कैसी और कहां तक सहायता दी जाये।
2. आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर के आने तक रोगी या घायल मनुष्य को उपयुक्त चिकित्सा और सहायता दी जाये।

PTS Kherwara, Udaipur

प्राथमिक सहायता के स्वर्ण सूत्र–

1. पहले परमावश्यक कार्य शीघ्रता तथा शांति से तथा बिना किसी भय एवं कोलाहल से कीजिए।
2. यदि श्वांस क्रिया रुक गयी हो, तो तुरन्त कृत्रिम श्वास दीजिए। प्रत्येक क्षण अमूल्य है। जब तक डॉक्टर न आये, घायल को मृतक मत मानिये।
3. प्रत्येक प्रकार के रक्तस्त्राव को तुरन्त बंद कीजिये।
4 रोगी को सदमे से बचाइये। उसका उपचार रोगी को कम से कम हिलाकर तथा कोमलता से हाथ लगाकर कीजिये।
5. रोगी को तुरन्त खतरे के स्थान से दूर हटाइये।
6. जितना हो सके, रोगी को किसी चिकित्सक के पास या चिकित्सालय में ले जाने का प्रबंध कीजिये या किसी चिकित्सक को वहीं बुलाइये।

रक्त स्त्राव या बहते खून को बन्द करने के तरीके –

1. मुख्य धमनियां एवं दबाव बिन्दु या स्थान –

धमनियां :– लक्ष्य से शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त ले जाने वाली नसें है।

दबाव स्थान :– वह स्थान है, जहाँ एक धमनी को उसके नीचे की हड्डी के ऊपर दबाया जा सकता है, ताकि उस स्थान से रक्त आगे न जा सके।

2. रक्त स्त्राव या बहते खून को बंद करना

रक्त स्त्राव दो प्रकार के होते हैं

1. भीतरी रक्त स्त्राव– घाव होने पर भीतरी मुख्य रक्त नसें फट जाती है तथा रक्त शरीर के अन्दर किसी गुहा में रिस–रिस कर इकट्ठा होने लगता है तथा नाक, मुँह या कान से रक्त आता है। ऐसे समय तुरन्त डॉक्टरी सहायता प्राप्त कीजिए और रक्त स्त्राव के स्थान पर ठण्डे पानी की गद्दी या बर्फ रखिये।

2. बाहरी रक्त स्त्राव– बाहरी रक्त स्त्राव के अन्तर्गत रक्त शरीर के बाहर निकलता है। इसमें शरीर की त्वचा का कटना या फटना आवश्यक है। बाहरी रक्त स्त्राव तीन प्रकार का है –

1. धमनी से
2. शिरा से
3. कोशिकाओं से

रक्त कोशिकाओं को रोकने के दो प्रकार उपचार है–

1. ठण्डक पहुंचाना– ठण्डक पहुंचाने के लिए ठण्डे पानी की गददी या बर्फ को घाव पर रखिये। इससे नसें सिकुड़ेंगी और रक्त बंद हो जायेगा। ठण्डा पानी लगाने से न डरिये। खून रुक जाने पर घाव के ऊपर पानी, टिचर ऑफ आयोडिन मत लगाइये, नहीं तो घाव सड़ जायेगा। साफ पानी कभी नुकसान नहीं करता।

2. दबाव डालना

दबाव कई तरीकों से डाला जा सकता है–

सीधा दबाव– घाव में यदि कोई कांटा, कांच आदि न हो, तो अंगूठा घाव पर रखकर घाव को दबाते है। जिधर से रक्त निकल रहा है, उधर के जोड़ में गददी रखकर मोड़ने से रक्त बंद हो जाता है।

PTS Kherwara, Udaipur

दबाव स्थान या प्रेशर पॉइंट दबाकर दबाव– घाव के दबाव स्थान को अंगूठे से दबाया जाता है। रक्त यदि फिर भी न रुके तो टॉर्निकेट लगाते है। टॉर्निकेट किसी भी मजबूत डोरेनुमा पट्टी से लगाया जा सकता है। 15 मिनट बाद टॉर्निकेट ढीला कर देते है। शिरा के रक्त को बंद करने के लिए उसके बहाव की ओर बंध लगाइये तथा दबाव डालिये।

ध्यान रखिये –

1. रक्त निकलते ही तुरन्त बंद कीजिये, नहीं तो सदमा होने का डर है और मृत्यु का भी।
2. रक्त बंद होने पर घाव का इलाज कीजिये।
3. रोगी के रक्त बहने वाले भाग को थोडा ऊँचा उठा दीजिये।
4 रोगी का रक्त बंद होने पर सदमे का उपचार कीजिये।
5. रक्त को देखकर घबराइये नहीं, धैर्य से काम कीजिये।

पट्टी बंधन के प्रकार –

1. आवरण या घावों को ढकना चोट या घाव को लाल दवा या डिटोल के पानी से या साफ पानी से साफ कर साफ रुई या गाज के टुकड़े से ढक दीजिये। अब इसे गोल पट्टी से स्थिर कर दीजिये या तिकोनी पट्टी से ढक दीजिये।

2. पट्टी बांधना –

दो प्रकार की पट्टियों का प्रयोग करते हैं–

(1) तिकोनी पट्टी का प्रयोग– घाव या चोट को ढकने, टूटे अंग को स्थिर करने के लिए, किसी अंग को सहारा देने के लिए तिकोनी पट्टी का प्रयोग करते हैं।

पट्टी तैयार करना– 37 से 40 ईंच वर्गाकार कपड़े को तिरछा काटकर दो तिकोनी पट्टियां बनाई जाती हैं।

गाँठ लगाना गाँठ दो मोड़ों से बनती है।

तिकोनी पट्टी बांधने के तरीके–

1. छोटा या बड़ा झोला या गोफन हाथ या भुजा को सहारा देने के लिये लटकन के रूप में बांधे जाते हैं। छोटे झोले के लिए चौड़ी पट्टी बनाकर इसी तरह बांधी जाती है।
2. पांव की पट्टी पंजा तिकोनी पट्टी के नोक वाले भाग की ओर रखकर नोंक उलट दो। दोनों सिरों को टखने से लपेट कर रीफ नॉट आगे बांध दो। अब नोक को तीर की दिशा में वापस मोडकर सेफ्टीपिन लगा दीजिये।

3. सिर की पट्टी– आधार को आधा मोडकर, बीच में से माथे पर रखकर, नोक पर रखकर, नोक के ऊपर लाते हुए, फिर माथे पर रीफनॉट बांध दो। पीछे की नोक को गांठ के ऊपर से लेकर सेफ्टीपिन लगा दो।

4 घुटने की पट्टी– आधार को दो इंच मोड़ लो। घुटने को पट्टी के बीच में लेते हुए नोक ऊपर रखते हुए तथा दोनों सिरों को घुमाकर घुटने पर रीफनॉट लगा दो, फिर नोक के नीचे लगाकर सेफ्टीपिन से टांक दो।

(2) गोल पट्टियों का प्रयोग

PTS Kherwara, Udaipur

गोल पट्टियों का प्रयोग अधिकतर अस्पतालों में किया जाता है। जहाँ तिकोनी पट्टी न मिले, वहां गोल पट्टी का प्रयोग करना पड़ता है। ये पट्टियां अलग–अलग अंगों के लिए अलग–अलग चौड़ाई की होती हैं। पट्टी को गोल समेटने के बाद इसे बांधते समय हाथ में इस प्रकार पकड़ते हैं कि वह आसानी से खुलती जावे। पट्टी को नीचे से ऊपर की ओर लपेटिये तथा अन्दर से बाहर की ओर अंग के सामने पट्टी की तह को इस प्रकार लपेटिये कि पहले चक्कर का दो तिहाई भाग ढ़कता जावे। यह आवश्यक है कि पट्टी ना तो अधिक कस कर बांधी जावे, न अधिक ढीली की जाये।

दुर्घटनास्थल पर प्राथमिक चिकित्सा की विधियां :–

साधारण दुर्घटनायें –

1. कपड़ों में आग लगना– यह एक सामान्य दुर्घटना है, जो असावधानी से आये दिन होती रहती हैं। स्टोव फट जाने से अधिकतर ऐसी दुर्घटनाएँ होती हैं, नंगी आग या गर्म वस्तु से जलना और तरल पदार्थ से झुलसना कहा जाता है। इससे छाले पड़ जाते हैं। चेहरा, सीना, पेट व निम्नांग का जलना भयानक होता है। गहराई तक जल जाने से मृत्यु का भी भय रहता है।

सावधानियां एवं उपचार –

1. आघात का भय रहता है। अतः आघात का ध्यान रखना अति आवश्यक है।
2. यदि आपके कपड़ों में आग लग जाये तो दौड़िये नहीं, जमीन पर लुढक जायें, आग बुझ जायेगी।
3. यदि किसी दूसरे के कपड़ों में आग लगी हो तो अपने हाथों से लपटों को बुझाने की कोशिश मत कीजिये। आप जल जायेंगे। एक मोटा कपडा, दरी लेकर अपने सामने रखकर घायल व्यक्ति को अचानक ढककर उसे जमीन पर लुढ़काइये। यह कठिन है, परन्तु अभ्यास करने के बाद यह बहुत लाभदायक सिद्ध होता है।
4. छालों को फोड़िए मत। जले स्थान से कपड़े को मत हटाइये, जरूरी हो तो उसे चारों ओर से काट दीजिए।
5. जले स्थान को साफ कपड़े या रुई पट्टियों के टुकड़ों को बरनोल मरहम या टैनिक एसिड जैली या सोडियम बाइकार्बोनेट (खाने का सोडा) के गर्म घोल में भिगोकर घाव पर रखिये। चूने के निथारे हुए पानी में बराबर खोपरे का तेल मिलाकर लगाइये। अण्डे की सफेदी भी लगा सकते हैं। घाव व छालों पर चाय की उबली हुई पत्ती पीस कर लगाइये।
6. सदमे की हालत उत्पन्न होने पर सदमे का उपचार कीजिए तथा रोगी को तुरन्त डॉक्टर के पास या अस्पताल में ले जाइये।

2. नकसीर आना या नाक से रक्त बहना –

कारण –

1. नाक या सिर पर चोट लगने से
2. गर्मी से
3. कभी–कभी कमजोरी की हालत में भी नकसीर फूट पड़ती है।

उपचार –

1. रोगी को आराम से खुली हवा में, सिर को थोड़े पीछे झुकाकर बिठा दें।

PTS Kherwara, Udaipur

2. सीने के कपड़े ढीले कर दें तथा रोगी से मुंह से सांस लेने को कहें।
3. नाक व माथे पर, गर्दन के नीचे ठण्डे पानी का कपड़ा या बर्फ का टुकड़ा या गद्दी लगाओ।
4. नाक के सख्त भाग के नीचे के भाग को दबाइये।
5. रक्त रुकने पर रुई नाक में लगा दो।
6. पीली या ताजी मिट्टी के ढेले को गीला करके सुंघाइये।
7. नीम की भीतरी छाल या बेल की पत्ती का लेप माथे पर करें।
8. प्याज को छीलकर सुंघाइये।
9. जिस नथूने से रक्त बह रहा है, उसके विपरीत और के हाथ को ऊँचा उठा देने से श्वास बदल जाता है और रक्त बंद हो जाता है।

3. सांप द्वारा काटना

यदि किसी सांप ने काट लिया है तो यह निश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि काटने वाला साप विषैला है या नहीं। विषैले होने पर तुरन्त प्राथमिक सहायता की कार्यवाही करें।
1. काटे हुए स्थान से ऊपर हृदय की ओर कपड़े या रस्सी से बंध लगाइये।
2. लाल दवा से घाव धोएं तथा दांतों से कटे स्थानों पर गुणाकार में चाकू या ब्ले से 1/4 इंच गहरा काटकर, उस घाव में लाल दवा के दाने भर कर रगड़ें, फिर पानी से धोयें।
3. रोगी को जगाते रहो। रोगी को नीम की पत्ती तथा गर्म चाय पिलानी चाहिए।
4. कपड़े से ढककर शरीर गर्म रखें।
5. श्वास रुकने पर कृत्रिम श्वांस दो।
6. घाव पर जलता हुआ कोयला या लोहे की गर्म सलाख रखें।
7. केले के छिलके का रस 20 ग्राम तथा 20 काली मिर्च का चूर्ण पिलाने से लाभ होता है।
8. मरीज को तसल्ली दो तथा डॉक्टर के पास तुरन्त ले जाइये।

4. पागल कुत्ते या बन्दर आदि द्वारा काटना –

पागल कुत्ते को रैबीज" नामक बीमारी होती है, जिसका वायरस उसकी लार में आ जाते हैं तथा काटते समय वायरस से संक्रमित लार व्यक्ति के घाब में जाकर खून में मिल जाती है तथा बायस्स स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। काटने का घाव सिर के जितना नजदीक होगा, खतरा उतना ही अधिक होता है।

PTS Kherwara, Udaipur

Module- A- 17- Disaster Management.
(Day-04) (Session-24)
Paper- 13- Practical Hands- on (06 Session)

PTS Kherwara, Udaipur

✔ Case Law- MC Maheta Vs. Union of India (Oleum gas leak) case- AIR 1987 SC 965

मामले की पृष्ठभूमि और तथ्य–

- **फैक्ट्री का संचालन–** दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके के पास श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज (डीसीएम लिमिटेड की एक इकाई) द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम गैस का निर्माण किया जा रहा था। यह घनी आबादी वाला क्षेत्र था।
- **जनहित याचिका–** पर्यावरण कार्यकर्ता एम.सी. मेहता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें इस संयंत्र को घनी आबादी वाले क्षेत्र से स्थानांतरित करने या बंद करने की मांग की गई थी।
- **गैस रिसाव घटना** (दिसंबर 1985)– याचिका पर सुनवाई जारी रहने के दौरान ही, 4 और 6 दिसंबर 1985 को संयंत्र की एक इकाई से जहरीली ओलियम गैस का भारी रिसाव हुआ।
- **प्रभाव–** इस हादसे में तीस हजारी कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता (एडवोकेट के.एस. रॉय) की मृत्यु हो गई और कई नागरिक गंभीर रूप से प्रभावित हुए, जिससे जनता में भारी डर और भय का माहौल बन गया।

मुख्य कानूनी मुद्दे–

- **अनुच्छेद 32 का दायरा–** क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है या पीड़ितों को मुआवजा भी दिला सकता है?
- **अनुच्छेद 12 के तहत राज्य–** क्या एक निजी निगम जो खतरनाक गतिविधियों में शामिल है, उसे संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्यश की परिभाषा में माना जा सकता है?
- **दायित्व का मानक–** क्या 1868 के ब्रिटिश मामले रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के कठोर दायित्व का नियम भारत की आधुनिक औद्योगिक परिस्थितियों में लागू होना चाहिए, या एक नए मानक की आवश्यकता है?

उच्चतम न्यायालय का निर्णय और सिद्धांत

- **अनुच्छेद 32 और मुआवजे का अधिकार–** मुआवजा शक्ति न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकारों (विशेषकर अनुच्छेद 21 – जीवन का अधिकार) के उल्लंघन के मामलों में अनुच्छेद 32 केवल निर्देश जारी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पीड़ितों को मुआवजा देने की शक्ति भी रखता है।
- **कठोर दायित्व की सीमाएं**– पुराने नियम की समीक्षा रायलैंड्स बनाम फ्लेचर (1868) के नियम में कई अपवाद थे (जैसे – ईश्वर का कार्य/Act of God, तीसरे पक्ष की अनधिकृत कार्रवाई)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 19वीं सदी का यह नियम आधुनिक औद्योगिक युग के लिए पर्याप्त नहीं है।
- **पूर्ण दायित्व के सिद्धांत का जन्म–** न्यायालय ने Absolute Liability का नया नियम प्रतिपादित किया। यदि कोई उद्योग अत्यंत खतरनाक या खतरनाक गतिविधि में संलग्न है, तो दुर्घटना होने पर उद्योग का दायित्व बिना किसी अपवाद के पूर्ण होगा।
- **मुआवजे का मापदंड** आर्थिक क्षमता के अनुसारन्यायालय ने व्यवस्था दी कि मुआवजे की राशि कंपनी की आर्थिक क्षमता के आनुपातिक होगी – कंपनी जितनी बड़ी और समृद्ध होगी, मुआवजा उतना ही अधिक होगा ताकि इसका निवारक प्रभाव पड़े।

मामले का महत्व एवं प्रभाव–

- अनुच्छेद 21 का विस्तार– जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त और सुरक्षित पर्यावरण में रहने का अधिकार स्पष्ट रूप से शामिल माना गया।

PTS Kherwara, Udaipur

- पर्यावरण अधिनियम 1986– इस फैसले ने भारत में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और बाद में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की रूपरेखा तय करने में मुख्य उत्प्रेरक का काम किया।
- सार्वजनिक जवाबदेही– उद्योगों को अपने परिसर के भीतर और बाहर सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए कानूनी रूप से पूरी तरह उत्तरदायी बनाया गया।

PTS Kherwara, Udaipur

✔ Case Law- Charan Lal Sahu Vs. Union of India AIR 1990 SC 1480

पृष्ठभूमि और तथ्य–

- **भोपाल त्रासदी (1984)**– यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के भोपाल स्थित कारखाने से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से हजारों लोगों की मृत्यु हुई और लाखों लोग जीवनभर के लिए प्रभावित हुए।
- **विशेष अधिनियम (1985)**– पीड़ितों की बड़ी संख्या, उनकी अशिक्षा और गरीबी को देखते हुए केंद्र सरकार ने भोपाल गैस लीक आपदा (दावों का निपटारा) अधिनियम, 1985 पारित किया।
  - इसके तहत सरकार ने धारा 3 के माध्यम से सभी पीड़ितों की ओर से मुकदमेबाजी करने और अदालत में प्रतिनिधित्व करने का विशेष अधिकार अपने हाथ में ले लिया।
- **समझौता–** भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के बीच सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता से 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अंतिम समझौता हुआ।
- याचिकाकर्ताओं की आपत्ति– चरण लाल साहू और अन्य पीड़ितों ने इस कानून और सरकार के एकतरफा अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।

मुख्य कानूनी मुद्दे–

- संवैधानिक वैधता– क्या 1985 का अधिनियम पीड़ितों के स्वयं मुकदमा लड़ने के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14, 19, और 21) का उल्लंघन करता है?
- Parens Patriae का सिद्धांत– क्या राज्य अपनी संप्रभु क्षमता में नागरिकों का अभिभावक बनकर उनके कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर सकता है?
- प्राकृतिक न्याय– क्या पीड़ितों की सहमति या सुनवाई के बिना सरकार द्वारा समझौता कर लेना कानूनी रूप से वैध है?

उच्चतम न्यायालय का निर्णय–

- 1985 अधिनियम को वैध ठहराया गया– संवैधानिक वैधता– अदालत ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। पीठ ने कहा कि असहाय और गरीब पीड़ितों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा एकाधिकार लेना अनुचित या असंवैधानिक नहीं है।
- अभिभावक सिद्धांत का प्रयोग– Parens Patriae- कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य का यह दायित्व है कि वह अपने विकलांग, पीड़ित और शोषित नागरिकों की रक्षा करे। Parens Patriae सिद्धांत के तहत सरकार पीड़ितों की ओर से वाद दायर कर सकती है।
- सुनवाई का अधिकार– प्राकृतिक न्याय– न्यायालय ने माना कि यद्यपि समझौते से पूर्व पीड़ितों की राय नहीं ली गई, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन था, लेकिन स्थिति की तात्कालिकता और मुआवजा वितरण की आवश्यकता को देखते हुए इसे पूर्णतः अमान्य नहीं ठहराया गया।
- अंतरिम राहत और आयोग का गठन– भविष्य के निर्देश–न्यायालय ने कहा कि भविष्य में ऐसी आपदाओं के समय पीड़ितों के लिए अंतरिम राहत सुनिश्चित करने और दावों के त्वरित निस्तारण हेतु उचित तंत्र बनाया जाना अनिवार्य है।

मामले का महत्व एवं प्रभाव

- मास टॉर्ट्स (डें ज्वतजे) में राज्य की भूमिका– इस फैसले ने तय किया कि बड़े पैमाने पर हुई मानवीय त्रास्दी के मामलों में राज्य अपने नागरिकों का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
- पर्यावरण और जन–स्वास्थ्य कानून– इसने औद्योगिक आपदाओं के बाद कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सरकारी हस्तक्षेप के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तय किए।

PTS Kherwara, Udaipur

- भविष्य के समझौतों पर रोक– इस फैसले के बाद यह सिद्धांत मजबूत हुआ कि राज्य द्वारा किए जाने वाले किसी भी समझौते में पीड़ितों के हितों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

PTS Kherwara, Udaipur